

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जास्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

आसीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
मूल वाद संख्या :- 240/2024

1. रविश कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. औमप्रकाश पुत्र पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- वादीगण

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र रसोलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रामप्यारी पत्नी स्व० रणवीर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. कुलदीप पुत्र स्व० रणवीर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. रणजीत पुत्र स्व० रणवीर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सरोज पुत्री सोहनलाल पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी 17 एम.जे.डी. इन्द्रपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. महेन्द्रा देवी पुत्री सोहनलाल पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 15 माणक टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा व खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 16.08.2024

वादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री रमेलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.08.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश कि... और डिक्री दी जाती है कि

(क). वादी संख्या 1 रविश कुमार को प्राप्त आराजी :- वक नम्बर 2 के एम.आर. के खाता संख्या 111/93 में पत्थर नम्बर 238/204(38) किला नम्बर 6/1/0209

हैक्टर दक्षिणी दिशा, 6/2/025 गैरमुमकिन सरता, 7/0.135 उत्तर दिशा, 8/0.136 हैक्टर उत्तर दिशा, 9/0.137 हैक्टर, 2/0.165 हैक्टर, 3/0.218 हैक्टर दक्षिण दिशा, 4/0.217 हैक्टर दक्षिण दिशा।

(ख) वादी संख्या 2 औमप्रकाश को प्राप्त आराजी - चक नम्बर 2 के.एच.आर. के खाता संख्या 111/93 के पत्थर नम्बर 238/204(38) किला नम्बर 3/0.035 हैक्टर उत्तर दिशा, 4/0.021 हैक्टर उत्तर दिशा, 15/1/0.228 मे से 0.110 हैक्टर पूर्व दिशा, 15/2/0.025 हैक्टर गैरमुमकिन पत्थर नम्बर 238/203(36) किला नम्बर 17/0.253, 18/0.228, 22/0.063, 23, 24/0.506 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 रामप्यारी को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 2 के.एच.आर. के खाता संख्या 111/93 के पत्थर नम्बर 238/204(38) किला नम्बर 11/0.126, 12/2/0.101, 13, 14/0.506, 15/1/0.228 हैक्टर मे से 0.109 पश्चिम दिशा, 7/0.117 दक्षिण दिशा, 8/0.117 दक्षिण दिशा, 9/0.116 हैक्टर दक्षिण दिशा, 10/0.025 हैक्टर

(घ) वादीगण संख्या 1 रविश कुमार, वादी संख्या 2 औमप्रकाश, प्रतिवादीया संख्या 2 रामप्यारी को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 2 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 238/204(38) किला नम्बर 4/0.015 पूर्व दिशा, 6/0.019 उत्तर दिशा, 7/0.001 उत्तर-पूर्व कोना, 15/0.009 उत्तर दिशा

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर मुताबिक तकसीम रकम राज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 2 के.एच.आर. के खाता संख्या 111/93 मे से सोहनलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजरव) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजरव रिकॉर्ड में अकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



(स्वामि सुप्ता)
उपस्थित अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी